इलिनॉय रोज़गार सुरक्षा विभाग (इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ़ एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी)

अस्थायी रूप से बेरोज़गार कर्मियों के लिए बेरोज़गार बीमा

यदि आपको अस्थायी रूप से नौकरी से निकाला गया है तो लाभों के लिए कैसे आवेदन करें

लाभों के लिए आवेदन करें

आप लाभों के लिए आवेदन (इसे दावा दाखिल करना भी कहते हैं) ऑनलाइन या फोन के द्वारा कर सकते हैं। दाखिल करने के 7-10 दिनों के बाद अपने बेरोज़गारी बीमा (यूआई) के खोज पत्र के लिए सतर्क रहें। इस पत्र में आपकी साप्ताहिक लाभ राशि और प्रथम तिथि, जिस दिन आपको प्रमाणन करना चाहिए, शामिल होंगी।

लाभों के लिए प्रमाणीकरण कीजिए

याद रखें: प्रमाणीकरण वह तरीका है जिससे आपको लाभों का भुगतान किया जाता है। आपके यूआई खोज पत्र (UI Finding letter) में इंगित तारीख पर, ऑनलाइन जाएँ और अपने पिछले दो सप्ताह की बेरोज़गारी के बारे में प्रमाणन के प्रश्नों के उत्तर दें। यह रिपोर्ट करने के लिए तैयार रहें कि आपने काम किया था या नहीं, और पिछले दो सप्ताह के दौरान अर्जित सकल मज़दूरी की राशि क्या थी।

लाभों को प्राप्त कीजिए

लाभों के लिए प्रमाणन करने के 2-3 दिनों के बाद, आपके डेबिट कार्ड पर या डायरेक्ट डिपाज़िट के माध्यम से भुगतान किया जाएगा। लाभ प्राप्त करना जारी रखने के लिए आपको हर दो सप्ताह बाद प्रमाणित करना (आपके यूआई खोज पत्र (UI Finding letter) में इंगित सप्ताह के समान दिन पर) जारी रखना आवश्यक है।

क्या मैं काम करने के लिए योग्य और उपलब्ध हूँ?

प्रमाणन करते समय, आपसे पूछा जाएगा कि यदि आप काम करने के लिए योग्य और उपलब्ध हैं। आम तौर पर यदि एक अस्थायी रूप से बेरोज़गार कर्मी अपना काम करने के लिए शारीरिक रूप से योग्य है और बस काम पर वापिस बुलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है, तो वे काम करने के लिए योग्य और उपलब्ध हैं।

जब आप काम पर वापिस लौटते हैं

जब भी आप प्रमाणन करते हैं तो आपके लिए रिपोर्ट करना आवश्यक है यदि आपने काम किया और/या पिछले दो सप्ताहों में प्रत्येक के लिए मज़दूरी अर्जित की। यदि आपकी आमदनी आपकी साप्ताहिक लाभ की राशि के बराबर या इससे अधिक है तो आप उस सप्ताह के लिए लाभ प्राप्त करने के अयोग्य हैं। यदि आप अपने आरंभिक दावे में अपनी काम-पर- लौटने की तिथि को शामिल करते हैं तो आप भी इस तिथि के बाद लाभ प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक कि आपके अकाउंट में इसे अपडेट न किया गया हो।

यदि आपको काम से दोबारा अलग किया जाता है

यदि आपको काम से दोबारा अलग किया जाता है तो आपके लिए जितना जल्दी संभव हो एक अतिरिक्त दावा दाखिल करना आवश्यक है। आप अपने पिछले दावे के अंतर्गत प्रमाणन करना जारी **नहीं रख सकते**। अतिरिक्त दावों पर अधिक जानकारी के लिए यहाँ क्लिक करें।

दावा दाखिल करें

प्रमाणित करें

IDES
ILLINOIS DEPARTMENT OF EMPLOYMENT SECURITY

ग्राहक सेवा
800-244-5631